



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट – थाना चांदपुर

दिनांक – 21.01.2025

थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 14/25 धारा 137(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 12.01.2025 को वादी ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी की अज्ञात अभियुक्त वादी की 14 वर्षीय बहन को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 14/2025 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। दिनांक 18.01.2025 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उक्त अभियोग से सम्बंधित अपहृता को बरामद किया गया।



कार्यवाही –

आज दिनांक 21.01.2025 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में प्रकाश मे आये अभियुक्त रोहित पुत्र राजू सिंह निवासी मौ0 गांधी नगर वार्ड नं0 3 कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

रोहित पुत्र राजू सिंह निवासी मौ0 गांधी नगर वार्ड नं0 3 कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 जुगेन्द्र तेवतिया थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
- 2.कां0 2341 मौ0 सिराज थाना चांदपुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना मंडावर

दिनांक – 21.01.2025

थाना मण्डावर पुलिस ने अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही –

दिनांक 21.01.2025 को थाना मंडावर पुलिस द्वारा अभियुक्त लाखन उर्फ काला पुत्र हरपाल सिंह निवासी ग्राम इनामपुरा थाना मंडावर जनपद बिजनौर को एक अवैध तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया । इस सम्बंध में थाना मंडावर पर मु0अ0सं0 13/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

लाखन उर्फ काला पुत्र हरपाल सिंह निवासी ग्राम इनामपुरा थाना मंडावर जनपद बिजनौर

अभियुक्त लाखन उर्फ काला का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 19/15 धारा 395/412 भादवि थाना श्यामपुर जनपद हरिद्वार
2. मु0अ0सं0 293/15 धारा 147/148/149/307/504/506 भादवि थाना पुरकाजी जनपद मुजफ्फरनगर
3. मु0अ0सं0 291/19 धारा 392 भादवि थाना मीरापुर जनपद मुजफ्फरनगर
4. मु0अ0सं0 292/19 धारा 307 भादवि थाना मीरापुर जनपद मुजफ्फरनगर
5. मु0अ0सं0 293/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मीरापुर जनपद मुजफ्फरनगर
6. मु0अ0सं0 265/20 धारा 307 भादवि थाना मीरापुर जनपद मुजफ्फरनगर
7. मु0अ0सं0 267/20 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना मीरापुर जनपद मुजफ्फरनगर
8. मु0अ0सं0 268/20 धारा 414 भादवि थाना मीरापुर जनपद मुजफ्फरनगर
9. मु0अ0सं0 199/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना मीरापुर जनपद मुजफ्फरनगर
10. मु0अ0सं0 56/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मंडावर जनपद बिजनौर
11. मु0अ0सं0 426/23 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना मंडावर जनपद बिजनौर
12. मु0अ0सं0 13/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मंडावर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री मीर हसन थाना मंडावर जनपद बिजनौर
2. हे0कां0 625 रघु देशवाल थाना मंडावर जनपद बिजनौर
3. कां0 1256 विपिन तोमर थाना मंडावर जनपद बिजनौर
4. कां0 877 रोशनलाल थाना मंडावर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट— थाना नजीबाबाद

दिनांक 21.01.2025

थाना नजीबाबाद पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 22/24 धारा 376(3) भादवि व 3/4(2) पॉक्सो अधि0 व 9 बाल विवाह अधि0 में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 16.01.2024 को वादिनी ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि अभियुक्त नदीम पुत्र जहीर निवासी मौ0 जरूफसाजान कस्बा साहनपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ने वादिनी के साथ शादी का झांसा देकर गलत काम किया तथा मना करने पर पर निकाह के जाली कागज बनाये। अभियुक्त नदीम ने वादिनी के घर में घुसकर गाली गलौच व छेडछाड की व वादिनी के अश्लील फोटो वायरल किये। इस संबंध में थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 22/24 धारा 452/354/504/506 भादवि व 67 आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 452/354/504/506 भादवि व 67 आईटी एक्ट का लोप कर धारा 376(3) भादवि व 3/4(2) पॉक्सो अधि0 व 9 बाल विवाह अधि0 की वृद्धि की गयी।



कार्यवाही—

आज दिनांक 21.01.2025 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 22/24 धारा 376(3) भादवि व 3/4(2) पॉक्सो अधि0 व 9 बाल विवाह अधि0 में वांछित अभियुक्त नदीम पुत्र जहीर निवासी मौ0 जरूफसाजान कस्बा साहनपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता—

1. नदीम पुत्र जहीर निवासी मौ0 जरूफसाजान कस्बा साहनपुर थाना नजीबाबाद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

- 1—उ0नि0 संदीप कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
- 2—आरक्षी 78 मन्नु राणा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट – थाना चांदपुर

दिनांक – 21.01.2025

थाना चांदपुर पुलिस ने अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही –

दिनांक 21.01.2025 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान अभियुक्त बृजपाल पुत्र केहर सिंह निवासी ग्राम ठेठ थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को एक अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया । इस सम्बंध मे थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 36/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम बृजपाल उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

बृजपाल पुत्र केहर सिंह निवासी ग्राम ठेठ थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

एक अवैध तमन्चा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री त्रिवेन्द्र सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
- 2.कां0 2123 अंकुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
- 3.कां0 506 देवेन्द्र सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर



प्रेस नोट—जनपद बिजनौर

दिनांक 21.01.2025

“ऑपरेशन कनविकशन” अभियान के क्रम में थाना कोतवाली शहर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से मा0 न्यायालय द्वारा गैंगस्टर अधिनियम के आरोपी अभियुक्त को 02 वर्ष कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित ।

कार्यवाही:—

अवगत कराना है कि दिनांक 31.08.2005 को अभियुक्त सरफराज पुत्र जुल्फकार निवासी ग्राम बहमनशोरा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर के विरुद्ध थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 1913/2005 धारा 3(1) गैंगस्टर अधिनियम पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

उक्त अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 21.01.2025 को माननीय न्यायालय ऐ0डी0जे0-06 जनपद बिजनौर द्वारा अभियुक्त सरफराज पुत्र जुल्फकार निवासी ग्राम बहमनशोरा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को **02 वर्ष के कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

दोषसिद्ध अभियुक्तगण का नाम पता:—

सरफराज पुत्र जुल्फकार निवासी ग्राम बहमनशोरा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर



प्रेस नोट:- जनपद बिजनौर

दिनांक:- 21.01.2025

“ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में थाना शेरकोट पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा विद्युत विभाग की टीम के साथ मारपीट के 02 आरोपियों को 01-01 वर्ष के कारावास व कुल 3000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित ।

कार्यवाही:-

दिनांक 19.07.2011 को वादी द्वारा थाना शेरकोट पर अभियुक्तगण 1.अनीस अहमद पुत्र बशीर अहमद, 2.आलम पुत्र अनीस, 3.खुर्शीद पुत्र अनीस अहमद निवासीगण मौ० शेखान कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर व एक व्यक्ति अज्ञात द्वारा विद्युत चोरी की शिकायत पर चेकिंग करने गई विद्युत विभाग की टीम के साथ मारपीट करने आदि आरोप लगाते हुए तहरीर दी गई । तहरीर के आधार पर थाना शेरकोट पर मु०अ०सं० 112/2011 धारा 323/504/506/186/353/332/342/427 भादवि व धारा 135 विद्युत अधिनियम पंजीकृत किया गया । स्थानीय पुलिस द्वारा सम्पूर्ण विधिक कार्यवाही के उपरान्त आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया ।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा० न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 21.01.2025 को मा० न्यायालय स्पेशल ईसी एक्ट जनपद बिजनौर द्वारा मु०अ०सं० 112/2011 धारा 323/34/342/353/332/186/427/504/506 भादवि व धारा 135 विद्युत अधि० के आरोपी 1.मौहम्मद खुर्शीद पुत्र अनीस अहमद व 2.अनीस अहमद पुत्र बशीर अहमद उपरोक्त को 01-01 वर्ष के कारावास व कुल 3,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पता:-

- 1-मौहम्मद खुर्शीद पुत्र अनीस अहमद नि० मौ० शेखान कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ।
- 2-अनीस अहमद पुत्र बशीर अहमद नि० मौ० शेखान कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ।